न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : जे0 के0 जैन
सदस्य

प्रकरण कमांक I/निगरानी/शिवपुरी/भू0रा0/2017/3900 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–03–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 268/2016–17/अपील

श्रीमती मन्तीबाई पत्नी राजेश कुशवाह
निवासी पुरानी शिवपुरी जिला शिवपुरी म0प्र0
———आवेदक

विरूद्ध

1. दौलतसिंह
2. श्यामसिंह पुत्रगण रूपा कुशवाह
   निवासीगण कलार वाग चुंगी नाका के के पास,
   शिवपुरी जिला शिवपुरी म0प्र0प
———अनावेदकगण

– – – – – –

श्री जीतेन्द्र त्यागी, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 24.8.19 2019)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 13–9–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम झीगुरा की भूमि सर्वे कमांक 194

मिन–4 रकवा 0.172, क. 194 मिन–3 रकवा 0.010 हे0 एवं 196 रकवा 0.805 हे. पर हिस्से के मान से बटवारा किये जाने की मांग की। तहसीलद न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 83/15–16/अ–27 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। दिनांक 26–11–2016 को तहसीलदार शिवपुरी ने वादित भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के डब्लू पी. 6566/2016 विचाराधीन होने से प्रस्तुत आवेदन समाप्त किया और माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण में अंतिम निराकरण होने पर आवश्यक कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27–3–2017 से अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 13–9–2017 से अपील सारहीन होने से अस्वीकार की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क किया कि आवेदिका और अनावेदकगण तीनों सगे भाई बहन है। पिता की मृत्यु के बाद तीनों का समान भाग पर नामांतरण हुआ। अनावेदकगण द्वारा फर्जी विकय पत्र के आधार पर नामांतरण करा लिया था इसके विरूद्ध आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आवेदिका द्वारा व्यवहार वाद भी प्रस्तुत किया गया था जिसे अंतरिम आदेश दिनांक 13–8–2015 को वाद भूमि विकय/अंतरण न किये जाने का स्थगन आदेश जारी किया। इसके वावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी ने 31–5–2016 से अपील निरस्त की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 25–7–2016 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किया जिसे राजस्व मण्डल से दिनांक 19–8–2016 को निरस्त किया। इस प्रकरण में मान0 उच्च न्यायालय 22–9–2016 को पक्षकारान को यथास्थिति बनाये रखते हुये रिट याचिका का निराकरण किया। इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना में आदेश दिनांक 26–11–2016 पारित किया है जो गलत व्याख्या पर आधारित है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की गई है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि अनावेदकगण ने पक्ष में विकय पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश हुआ। आवेदिका का विकय पत्र को शून्य घोषित कराने स्वत्व घोषण संबंधी दावा भी व्यवहार न्यायालय से आदेश दिनांक 26–6–2018 के द्वारा निरस्त हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने से व्यवहार न्यायालय से अंतिम निराकरण तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये थे। इसी कारण तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका का बटवारा आवेदन समाप्त किया है और अंतिम निराकरण के उपरांत आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी उचित पाया है।

5/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–8–2016 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन कमांक 6556/2016 में पारित आदेश दिनांक 22–9–2016 द्वारा सही ठहराया गया था। अतः उस आदेश के परिपालन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 2–9–2016 को की गई अपनी कार्यवाही में कोई त्रुटि नहीं की है। वह कार्यवाही सर्वथा उपयुक्त है। इसके उपरांत आवेदिका द्वारा प्रस्तुत बटवारा आवेदन दिनांक 6–8–2016 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 26–11–2016 में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–3–2017 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–9–2017 द्वारा भी विचारण न्यायालय के आदेश को सही ठहराया गया है। ऐसी स्थिति में जब कि पूर्व में पारित किये गये इस न्यायालय के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया था तथा यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि दिनांक 18–11–2005 के

विकय पत्र के निष्पादन' उपरांत किया गया नामांतरण त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता और वह व्यवहार न्यायालय द्वारा किये गये निराकरण के अधीन होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई को त्रुटिपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। वैसे भी अब चूंकि व्यवहार न्यायालय का आदेश दिनांक 26–6–2018 द्वारा वादी का वाद निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मामले में और कुछ किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 13–9–2017 स्थिर रखा जाता है।

(जे0के0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर